न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2016/00141

1. हंसराज पुत्र साहबराम जाति सुनार निवासी 1 पीपी घमूड़वाली हाल चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर। .....वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र सरदाराराम जाति सुनार निवासी घमूड़वाली हाल चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति सुनार निवासी चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. शिमला पुत्री सुरजाराम जाति सुनार निवासी चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. सरबती पुत्री सुरजाराम जाति सुनार निवासी चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. कालूराम पुत्र साहबराम जाति सुनार चक 6 बीडी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
6. उपपंजीयक खाजूवाला जिला बीकानेर
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।
8. राधा पत्नि साहबराम जाति सुनार निवासी गोलुवाला जिला हनुमानगढ़।
9. मैनादेवी पत्नी कलवन्त जाति सोनी जाति सुनार निवासी टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. भूरादेवी पत्नी भूपसोनी जाति सोनी निवासी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. पलाराम पुत्र कालूराम जाति सोनी निवासी पण्डितावाली जिला हनुमानगढ़।
12. चुन्नीलाल पुत्र कालूराम जाति सोनी निः पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.......प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88, 188 आर.टी. एक्ट
निर्णय :– दिनांक :– 2021

वाद का ब्यौरा इस प्रकार है कि विवादित आराजी चक 6बीडी के मुरब्बा नंबर 174/6 की 25 बीघा भूमि वादी के दादा सुरजा राम पुत्र सरदारा राम के नाम दर्ज है। वादी का कहना है कि सुरजाराम का वारिस होने के नाते इस जमीन में उसका जन्म से ही हक है। वादी का दादा बुजुर्ग हो चुका है इसलिए वह लोगों के बहकावे में आकर इस जमीन का बेचान करना चाहता है।.वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है विवादित जमीन का 1/6 हिस्सा वादी और वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 5 कालूराम के नाम दर्ज किया जाए।

प्रतिवादी की तरफ से जवाब दिया गया है कि उक्त जमीन उसकी स्व अर्जित संपत्ति है, इसलिए इस जमीन पर वादी को कोई हक प्राप्त नहीं है।

वादी द्वारा इसके जवाब में यह दलील पेश की गई है कि विवादित जमीन सुरजाराम को आवंटन के जरिए प्राप्त हुई है। राजस्थान [illegible] अधिनियम 1954 और राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तें 1955 के तहत अनुदान ग्रहिता की परिभाषा में अनुदान ग्रहिता के उत्तराधिकारी भी सम्मिलित समझे गए है, इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1968 और राजस्थान कोर्ट ऑफ वर्ड्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 का भी हवाला दिया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:48:05 IST
Reason: SelfAttested

अदालत द्वारा वादी द्वारा पेश की गई दलीलों पर गौर किया गया। अदालत की राय है की वादी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए हैं जिससे यह साबित हो कि किसी शख्स को आवंटित की गई जमीन में उसके उत्तराधिकारीयों (पुत्र /पुत्री) का जन्म से ही हक निहित हो जाता है।

अदालत की राय है कि राजस्थान उपनिवेशन नियम 1968 इस मामले में लागू नहीं होता है और कोर्ट ऑफ वार्ड एक्ट 1951 इस मामले में irrelevant है।

इस विवेचन की बुनियाद पर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि विवादित जमीन सुरजाराम कि स्व अर्जित संपत्ति है। वादी का उस जमीन में कोई हक नहीं है, इसलिए यह दावा खारिज किया जाता है। इसी के साथ दिनांक 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhjot Singh Gill
Date: 2021.09.08 13:48:05 IST
Reason: SelfAttested